



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी 2012—माघ 4, शक 1933

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2012

क्र. एफ-2-47-11-1-उनसठ.—इग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 21 का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, डॉ. जे. के. गुप्ता, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश, भोपाल) को इग्स एण्ड कास्मेटिक्स रूल्स, 1945 के खण्ड VIA के नियम 67 जी (3) एवं खण्ड के VIIA के नियम 85 ईए के प्रयोजनार्थ एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिये औषधि निरीक्षक (होम्योपैथी) नियुक्त करता है।

No. F-2-47-11-1-LIX.—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, for the purpose of the provisions of Rule 67-G (3) of Part VIA and Rule 85 EA of Part VII-A of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, Government of Madhya Pradesh hereby appoints Dr. J.K. Gupta, Medical Officer, Homeopathy (Officer on Special Duty, Directorate of Indian System of Medicine and Homeopathy, Madhya Pradesh) as Drug Inspector (Homeopathy) for Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि खन्नी, उपसचिव.